



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 214 राँची, गुरुवार,

8 मई, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

7 मई, 2025

संख्या-09/आरोप देवघर-60/2017-1228(09)/रा.,--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर का पत्रांक-216 दिनांक-05.04.2025 द्वारा श्री राम कुमार मधेशिया, तत्कालीन जिला निबंधक, देवघर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, जमशेदपुर के विरुद्ध पदस्थापन वर्ष-मई 2011 से फरवरी 2012 के दौरान लोक सेवक के पद पर रहते हुए राजस्व से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ मिलकर बेईमानी एवं धोखाधड़ी से देवघर जिला के अंतर्गत गैर-हस्तांतरणीय जमाबन्दी रैयत भूमि/सरकारी भूमि को गलत तरीके से तैयार कागजातों को प्रतिस्थापित कर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम/संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949/संथाल परगना विनियमन आदि के प्रावधानों का उल्लंघन कर झारखण्ड सरकार को नुकसान पहुँचाने का आरोप प्रतिवेदित है ।

2. प्राप्त आरोप की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित प्रतीत होता है ।

3. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री राम कुमार मधेशिया के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-6840, दिनांक-15.10.2024 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इकबाल आलम अंसारी (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
5. अपर समाहर्ता, देवघर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
